भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096.
टेली/Tel: 022-28294756 / 28294774 फैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सीप्ज़-सेज़/न्यूसेज़/331/2011-12/ दिनांक 03.10.2019

सार्वजनिक सूचना संख्या 52/ 2019, दिनांक 03.10.2019

विषयः- मेसर्स आर्शिया लिमिटेड एफटीडब्लूज़ेड विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन में स्थित यूनिटों के ब्रॉडबेंडिंग की मदों (आइटमों) की सूची के संबंध में।

सभी एफटीडब्लूज़ेड यूनिटों तथा स्टेकधारकों का ध्यान इसके द्वारा मेसर्स आर्शिया लिमिटेड, सेक्टर विशिष्ट सेज़ एफटीडब्लूज़ेड की दिनांक 16.9.2019 को आयोजित 116 वीं यूएसी बैठक की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह अनुमोदित किया गया कि अध्याय (चैप्टर) 71 के अंतर्गत प्रतिबंधित, निषिद्ध तथा एजेंसी-माध्यमवाले मालों को छोड़कर आइटीसी(एचएस) आयात तथा निर्यात मदों के वर्गीकरण के अधीन उल्लिखित सभी मदों को आर्शिया एफटीडब्लूज़ेड में व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़ से ब्रॉडबेंडिंग के लिए अलग से कोई अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

2. तथापि, आयात निर्यात नीति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किए जाने के अधीन सेज़ में प्रतिबंधित मदों के आयात की भी अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि डीटीए में ऐसी मदों के लिए स्वीकृति दी जाए।

3. ऐसे सभी लेनदेन सेज़ नियमावली, 2006 के अनुसार मुक्त विदेश मुद्रा में किए जाएं।

4. सभी अपेक्षित लाइसेन्स संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त किए जाएं।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

03.10.19

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

प्रति,
सभी यूनिट तथा स्टेकधारक - एफटीडब्लूज़ेड सेज़